कार्यालय जिला पंचायत, अम्बेडकरनगर।

पत्रांक–322 / जि0पं0अम्बे0 / ई–निविदा / पं0रा0वि0आ0 / 15वां वि0 / 2026–27 दिनांक–13-05-26

ई–निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 के पंजीकृत ठेकेदारों के अतिरिक्त सरकारी गजट उ0प्र0 सरकार पंचायतीराज अनुभाग–2 संख्या–1425 / 33–2–2020–80जी–2000 लखनऊ 14 जुलाई 2020 (निर्माण कार्य नियमावली–1984 प्रथम संशोधन) द्वारा राज्य सरकार के सिचाई विभाग, पी0डब्ल्यू0डी0 में वित्तीय वर्ष 2025–26 में पंजीकृत ठेकेदारों को भी सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत अम्बेडकरनगर की गत वर्ष की अवशेष धनराशि तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि से कराये जाने वाले परियोजनाओं के निर्माण कार्यो का शासनादेश संख्या–1 / 2017 / 642 / 33–2–2017–37जी / 17 दिनांक 10.04.2017, शासनादेश संख्या–1105 / 33–2–2017–56जी / 17 दिनांक 18 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–2981 / 33–2–2018–56जी / 17 दिनांक 05.06.2018 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में ई–टेण्डर प्रणाली के माध्यम से http//etender.up.nic.in पर निविदा आमंत्रित की जाती है। ई–निविदा प्रपत्र वेवसाइट http//etender.up.nic.in पर दिनांक 15.05.2026 को समय 12.00 अपराह्न दिन से दिनांक 05.06.2026 को मध्याह्न 12.00 बजे दिन तक ऑनलाइन अपलोड/डाउनलोड किये जा सकते है। ऑनलाइन प्राप्त निविदाएं दिनांक 05.06.2026 को समय 01.00 बजे अपराह्न से कार्य समाप्ति तक निविदा समिति द्वारा ऑनलाइन खोली जायेगी। कार्यो का विवरण निम्नवत है–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	विकास खण्ड का नाम	कार्य का प्रकार	प्राक्कलित धनराशि बिना जी0 एस0टी0 (रू0 में)	प्राक्कलित धनराशि जी0एस0टी0 सहित (रू0 में)	धरोहर धनराशि2 %(रू0 में)	निविदाप्रपत्र का मूल्य जी0एस0 टी0 सहित (रूपये में)	कार्यपूर्णकरने की अवधि (माह में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	पंचम राज्य वित्त आयोग							
1	ग्राम सभा हिथूरी पक्की सड़क से अद्या वर्मा के घर की तरफ	टाण्डा	सी0सी0	1150932.00	1358100.00	23019	1180	02 माह
2	ग्राम सभा पुन्थर में हाइवे से काली चौरा की तरफ।	टाण्डा	सी0सी0	391160.00	461569.00	7823	590	02 माह
3	ग्राम पंचायत डुहिया में टाण्डा हंसवर रोड से सद्दोपुर प्रधानमंत्री सड़क की तरफ।	टाण्डा	लेपन	1750892.00	2066000.00	35018	1180	02 माह
	15वां वित्त आयोग अनटाइड							
4	ग्राम सभा हिथूरी दाउदपुर मे दिनेश वर्मा के घर से गांव की तरफ।	टाण्डा	सी0सी0	280581.00	331086.00	5612	590	02 माह
5	गाम सभा सैदपुर रज्जीपुर माइनर से सोसाईटी तक	टाण्डा	सी0सी0	720895.00	850656.00	14418	1180	02 माह
	15वां वित्त आयोग टाइड							
6	ग्राम सभा खरूवइया मे हनुमान मन्दिर के पास सुलभ शौचालय।	जहांगीरगंज	सु0 शौचालय	1206294.00	1423427.00	24126	1180	04 माह
7	ग्राम सभा जमुनीपुर के मजरे कैथोलिया में सुलभ शौचालय व अन्य कार्य।	अकबरपुर	सु0 शौचालय	3764612.00	4442243.00	75292	1180	04 माह
8	ग्राम पंचायत विहरोजपुर में किसान इण्टर कालेज सम्पर्क मार्ग से बैंक आफ बड़ोदा होते हुए प्रा0 पाठशाला के पास नाले की तरफ	टाण्डा	नाला	2235116.00	2637437.00	44702	1180	02 माह
9	ग्राम पंचायत भसड़ा में बस्ती के बीच तालाब से बड़का तालाब तक।	टाण्डा	नाली	3343964.00	3945878.00	66879	1180	02 माह
10	ग्राम सभा महेशपुर नेमपुर से महगूपुर के घर से जियालाल के खेत होते हुए लालता प्रसाद के घर के पास तालाब तक।	जलालपुर	नाली	1678815.00	1981003.00	33576	1180	02 माह
11	ग्राम सभा शाहपुर में बरसाती वर्मा के घर से जितेन्द्र के घर होते हुए नाला तक।	टाण्डा	नाली	709107.00	836000.00	14182	1180	02 माह

शर्ते एवं जानकारी:–

1– निविदा प्रपत्र शुल्क (कालम 8 में देखें) हेतु जिला पंचायत कार्यालय में नकद जमा कर रसीद अथवा जिला निधि खाता संख्या–0974000106188095 IFS Code- PUNB0097400 पंजाब नेशनल बैंक, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर में ऑनलाइन/नगद बैंक खाता में जमा की जा सकती है, आनलाइन/नगद जमा सन्दर्भ संख्या/रसीद स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

2′ निविदा की धरोहर (बयाने) की धनराशि (कालम 7 में देखें) एफ0डी0आर0 / के0वी0पी0 / एन0एस0सी0, जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, अम्बेडकरनगर के पदनाम से बन्धक होगी, की प्रति स्कैन कर छायाप्रति अपलोड करना होगा। निविदा की धरोहर (बयाने) की धनराशि जिला निधि खाता संख्या–0974000106188095 IFS Code- PUNB0097400 में पंचायत कार्यालय में नकद जमा कर / आर0टी0जी0एस0 / नेफ्ट / ई0एम0पी0एस0 के माध्यम से जमा की जा सकती है, जमा पर्ची स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

3– ई–टेण्डर के साथ ठेकेदारों को पंजीयन / नवीनीकरण प्रमाण–पत्र, हैसियत प्रमाण–पत्र न्यूनतम 20.00 लाख, चरित्र प्रमाण–पत्र, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन, आधार एवं पैन कार्ड की वैध स्व–प्रमाणित प्रतियां ई–निविदा अपलोड करते समय स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

4– यदि किसी परियोजना का चयन गाइडलाइन के विरूद्ध तथा निविदा सूचना में अंकित कोई परियोजना यदि अन्य विभाग द्वारा पूर्व निर्मित / प्रस्तावित अथवा स्वीकृत पायी जाती है तो उक्त परियोजना को तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

5– उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अनुसार निविदा को अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी में निहित होगा।

6– प्रत्येक निविदादाता द्वारा रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर माफिया गतिविधियों में लिप्त न होने, स्कैन किये गये अभिलेखों के सम्बन्धि में, बार कान्सिल का सदस्य न होने तथा जिला परिषद के पदाधिकारियों, अधिकारियों / कर्मचारियों के निकटस्य सम्बन्धी न होने का शपथ पत्र ऑनलाइन स्कैन करते हुए निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

7– निर्माण कार्यो के बिलों से जी0एस0टी0 / लेबर सेस एवं अन्य कटौतियां समय–समय पर शासन से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार की जायेगी, जो निविदादाता को मान्य होगी।

8– सार्वजनिक निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले उप खनिजों पर रायल्टी का भुगतान सुनिश्चित किये जाने विषयक भूतत्व एवं खनि–कर्म अनुभाग के शासनादेश संख्या–594 / 77–5–2001 / 200 / 77टीसी0–1, दिनांक 02.02.2001 तथा शासनादेश संख्या–3385 / 86–2015–292 / 2015 दिनांक 15.10.2015 के साथ–साथ समय–समय पर जारी शासन के निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

9– पंजीकृत ठेकेदार का ठेका सक्षम स्वीकृति के पश्चात यदि कभी भी यह संज्ञान में आता है कि ठेकेदार सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसका ठेका नोटिस जारी कर समक्ष प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

10– प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने की अवधि उपरोक्त तालिका के कालम 9 में दर्शाया गया है। समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

11– अनुबन्ध गठन होने के पश्चात ही अन्य निविदादाताओं की धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।

12– निविदा से सम्बन्धित विवरण निविदा डालने हेतु योग्यता एवं पात्रता, विशिष्टियॉ मात्राओं का विवरण एवं ठेके की अन्य शर्ते जिनका पालन ठेकेदार को किया जाना है, के सम्बन्ध में जानकारी किसी भी कार्य दिवस में पूर्वाह्न 10.00 बजे से 05.00 बजे अपरान्ह्न तक निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 05.06.2026 समय 11.00 बजे तक कार्यालय जिला पंचायत अम्बेडकरनगर में देखा जा सकता है।

13– निविदा स्वीकृत होने के पश्चात ठेकेदार / फर्म द्वारा कार्य स्थल एवं कार्य पर लगने वाले श्रमिको का पंजीकरण श्रम विभाग में कराना अनिवार्य होगा।

14– सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं होगी।

15– निविदा के साथ समस्त अपलोड करने वाले प्रपत्र की पठनीय प्रति स्कैन करना अनिवार्य होगा।

16– निविदा स्वीकृत होने की दशा में जी0एस0टी0 की धनराशि को छोड़कर एक सप्ताह में स्टाम्प व जमानत धनराशि जमा कर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

17– राज्य सरकार के सिंचाई विभाग, पी0डब्ल्यू0डी0 में पंजीकृत ठेकेदार द्वारा यदि निविदा में प्रतिभाग किया जाता है और उसकी निविदा न्यूनतम आती है तो निविदादाता को एक सप्ताह के अन्दर जिला पंचायत अम्बेडकरनगर में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

18– न्यूनतम निविदादाता को अनुबन्ध पत्र गठित के समय 100 रू के स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र, जिसमें पत्र व्यवहार का पता, ई–मेल आई0डी0 एवं व्हाट्सएप मोबाइल नम्बर स्पष्ट अक्षरो सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

19– वित्तीय विड खोले जाने के पश्चात तीन कार्य दिवस के अन्दर मूल अभिलेख कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

20– यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदा लागत स्वीकृत (बी0ओ0क्यू0) से 10 प्रतिशत से अधिक कम है तो 10 प्रतिशत से अधिक कमी के सापेक्ष 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी शासनादेश संख्या 692 / 23–07–.2024 दिनांक 09.08.2024 के प्रविधानो के अनुसार अनुबन्ध गठित करना अनिवार्य होगा।

21– कार्यस्थल पर दुर्घटना से सुरक्षा की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार का होगा। दुर्घटना की स्थिति में नियमानुसार मुआवजा इत्यादि का उत्तरदायित्व फर्म/ठेकेदार का होगा। इस सम्बन्ध में विभाग पर कोई क्लेम स्वीकार नही होगा।

22– शासनादेश संख्या–305/33–सेल/2019 दिनांक 26 फरवरी, 2019 के अनुसार सभी निर्माण कार्यो की डिफेक्ट लायविलिटी पीरियड 02 वर्ष का होगा।

23– रू0 25.00 लाख से अधिक लागत की परियोजनाओं के निर्माण कार्यो की निविदा शासन से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही खोली जायेगी।

24– उपरोक्त शर्तो का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में निविदा अस्वीकार की जा सकती है।

(राकेश कुमार राय)
अभियन्ता
जिला पंचायत अम्बेडकरनगर

(जितेन्द्र कुमार)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत अम्बेडकरनगर

(श्याम सुन्दर वर्मा)
अध्यक्ष
जिलापंचायत अम्बेडकरनगर

कार्यालय जिला पंचायत, अम्बेडकरनगर

पत्रांकः /जि0पं0अम्बे0/ई–निविदा/पं0रा0वि0आ0/2026–27 दिनांक–

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी महोदय, अम्बेडकरनगर।

2– मुख्य विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर।

3– वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत अम्बेडकरनगर।

4– अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, गन्ना विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा एवं मण्डी परिषद अम्बेडकरनगर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कार्य में से कोई कार्य यदि आपके के विभाग से किसी योजना में स्वीकृत/प्रस्तावित हो तो कृपया एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करे, अन्यथा यह माना जायेगा कि उक्त परियोजना आपके विभाग द्वारा स्वीकृत/प्रस्तावित नही है।

5– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अम्बेडकरनगर को इस आशय से कि सम्बन्धित निविदा सूचना को जनपद की बेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

6– जिला पंचायत, के सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत अम्बेडकरनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by JITENDRA KUMAR
Date: 2026.05.15 10:23:52 IST
Location: Uttar Pradesh-UP